28.9.24 [illegible]

[illegible]

19.7.24 [illegible]

[illegible]

मुकदमा नं. .... ऑनलाईन नं. ....

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व हुक्म की
	तह. सांगोद, जिला ... जमाबन्दी ... जनक 2058--2077 इन्तकाल एवं जमाबन्दी के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित न प्रतीत होता है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, विद्वान ... के लिए जमा ... पत्रावली ... शुल्क की जमा ... नकल दाखिल दफ्तर हो	

निर्णय बइजलास श्री रामावतार मीणा, आर०ए०एस०
उपखण्ड अधिकारी सॉगोद कोटा

प्रकरण स० – 13/ 2024

तारीख दायरा – 20/6/2024

बउनवान

निजामुद्दीन पुत्र जगंबाज खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम बूढनहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान हाल मुकाम इस्लामी स्कूल के पास बडौरा तहसील अटरू जिला बांरा राजस्थान ।

– प्रार्थी

बनाम

राज्य सरकार जये तहसीलदार सॉगोद जिला कोटा राजस्थान। –अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगता धारा 136 आर.टी. एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थी अधिवक्ता श्री रमेश कुमार डोहलिया। दिनांक – 28/9/2024

श्री सरकार पैरोकार।

–: आदेश :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जर्ये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 आर.टी. एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया है कि माल ग्राम बूढनहेडा पटवार हलका लटूरा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान कि खाता सं० नई 93 पुराना 8 खसरा सं 14 की रकबा 0.38 हेक्टेयर, खसरा सं० 15 की रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा सं 16 की रकबा 0.06 हेक्टेयर, खसरा सं० 17 की रकबा 0.31 हैक्टेयर कुल किता 4 की कुल रकबा 0.90 हैक्टेयर अन्य सहखातेदारान के साथ स्थित है जिसमें प्रार्थी का नाम सिराजुद्दीन पुत्र जंगबाज खां हिस्सा 1/2 दर्ज है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम निजामुदीन पुत्र जंगबाज खां है लेकिन राजस्व कर्मचारियों व अधिकारीयों के द्वारा सहवन से

उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

बोलते नाम सिराजुद्दीन से नामान्तरण विरासत के आधार पर खोल दिया गया जबकी प्रार्थी का वास्तविक नाम निजामुद्दिन पुत्र जंगबाज खां है।

प्रकरण में तहसीलदार सांगोद द्वारा पत्रांक 1446 दिनांक 26.09.2024 के माध्यम से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार जिसके अनुसार ग्रामवासियों द्वारा सिराजुद्दीन पुत्र जंगबाज खां एवं निजामुद्दीन पुत्र जंगबाज खां एक ही व्यक्ति ही व्यक्ति होना अवगत करवाया गया तथा आराजी पर निजामुद्दीन पुत्र जंगबाज खां का कब्जा होना व्यक्त किया गया। इसके उपरान्त प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस की गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

मेरे द्वारा पत्रावली का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई तथा प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में पेश किये गये दस्तावेज जन आधार काड, बैंक पास बुक, आधार कार्ड, राशन कार्ड ,नामान्तरण सं० 105 ग्राम बूढनहेडा पटवार हलका लटूरा तह० सांगोद, नकल जमाबंदी सेटलमेंट सम्वतं 2058–2077, मिलान क्षेत्रफल सम्वतं 2058–2077, जवाब सरकार आदि का अवलोकन किया गया। उक्त समस्त दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतःप्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिये जाते है कि –

माल ग्राम बूढनहेडा पटवार हलका लटूरा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान कि खाता सं० नई 93 पुराना 8 खसरा सं 14 की रकबा 0.38 हेक्टेयर, खसरा सं० 15 की रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा सं 16 की रकबा 0.06 हेक्टेयर, खसरा सं० 17 की रकबा 0.31 हैक्टेयर कुल किता 4 की कुल रकबा 0.90 हैक्टेयर आराजी में प्रार्थी का नाम सिराजुद्दीन पुत्र श्री जंगबाज खां के स्थान पर निजामुद्दीन पुत्र श्री जंगबाज खां शुद्ध किये जाने की घोषणा की जाती है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी में प्रार्थी पर रहन भार होने पर बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण भूमि रहन भार मुक्त होने के उपरान्त ही आदेश की पालना की जावें।

(रामावतार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

आदेश आज दिनांक 28/9/24 को खुले न्यायालय में पढ कर सुनाया गया।

(रामावतार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद